झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2211 वर्ष 2013

बाली राम प्रसाद, पे0–स्वर्गीय तेतर महतो, निवासी–राम कृष्ण शारदा मंदिर परिसर, डाकघर–बोकारो थर्मल, थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. दामोदर घाटी निगम द्वारा उप–महाप्रबंधक (प्रशासन), डी0वी0सी0, बी0टी0पी0एस0, डाकघर–बोकारो थर्मल, थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो

2. मुख्य अभियंता और परियोजना प्रमुख, दामोदर घाटी निगम, बोकारो थर्मन पावर स्टेशन, डाकघर–बोकारो थर्मल, थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो

3. संपदा अधिकारी, दामोदर घाटी निगम, बी0टी0पी0एस0, डाकघर–बोकारो थर्मल, थाना–बोकारो थर्मल, जिला–बोकारो .... उत्तरदातागण

कारम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्त्ता के लिए: सुश्री वंदना सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए:

7/दिनांकः8 जनवरी, 2021

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रतिवादी–दामोदर घाटी निगम के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संपदा अधिकारी, दामोदर घाटी निगम उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा जारी नोटिस दिनांक 04.07.2012 और 20. 07.2012 को रद्द और अपास्त करने के लिए है, जिसके तहत और जहां रिट याचिकाकर्त्ता के घर को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि यह एक अनधिकृत कब्जा है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त नोटिस का जवाब संपदा ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस बीच, यह रिट याचिका भी दायर की गई थी।. यह न्यायालय, मामले के पूर्वोक्त तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखने के बाद, यह विचार करता है कि यदि संपदा अधिकारी द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत कब्जे से निष्कासन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर नोटिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है, लेकिन रिट याचिका में ऐसा कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

मामले के पूर्वोक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय का विचार है कि, इस स्तर पर, कारण बताओ नोटिस के साथ हस्तक्षेप करने में इस न्यायालय को प्रदत्त

अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, वह भी तब जब रिट याचिकाकर्त्ता द्वारा पूर्वोक्त नोटिस का जवाब पहले ही दायर किया जा चुका है।

मामले के उस दृश्य में, यह न्यायालय रिट याचिका को निपटाने के लिए उपयुक्त और उचित है और याचिकाकर्त्ता को संपदा अधिकारी के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, यदि मुद्दा निर्णित नहीं किया गया है। लेकिन, यदि मुद्दा पर निर्णय लिया जाता है तो याचिकाकर्त्ता निर्णय के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु स्वतंत्र होगा यदि संपदा अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है।

इस अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

दिनांक 02.12.2013 का अंतरिम आदेश को हटाया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)